

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.15(2)राज/वाद/96 पार्ट-13

जयपुर, दिनांक 13-03-2013

:: आदेश ::

इस विभाग के पूर्व आदेशों को अतिलंघित करते हुए विभिन्न सिविल न्यायालयों में विचाराधीन दीवानी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को एक वर्ष के लिए अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए एतदद्वारा पैनल लॉयर नियुक्त किया जाता है:-

जिला अलवर			
क्र. सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	एनरोलमेन्ट नं०
1	सिविल न्यायाधीश, रैणी	श्री शिव सहाय चौधरी	आर/151/1999
जिला बाड़मेर			
क्र. सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	एनरोलमेन्ट नं०
1	सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, न्यायालय गुडामालानी	श्री विशन सिंह चौधरी	आर/954/2001
जिला भीलवाड़ा			
क्र. सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	एनरोलमेन्ट नं०
1	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	श्री संदीप कुमार शर्मा	आर/2194/2003
2	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	श्री देवेन्द्र कुमार	आर/1380/1999
3	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजौलिया	श्री घनश्याम लाल धाकड़	आर/1132/2003
जिला झूंगरपुर			
क्र. सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	एनरोलमेन्ट नं०
1	सीमलवाड़ा मुख्यालय	श्री गौतम लाल रोत	आर/1329/2011
2	आसपुर मुख्यालय	श्री गजेन्द्र सिंह खरोड़िया	आर/1048/2001

६०८
13/3/2013

जिला सीकर			
क्र. सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	एनरोलमेन्ट नं०
1	2	3	4
1	नीमकाथाना	श्री राजेन्द्र कुमार सैनी	आर / 271 / 1996
2	दांतारामगढ़	श्री भोपाल सिंह	आर / 115 / 1980


जिला टोक			
क्र. सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	एनरोलमेन्ट नं०
1	2	3	4
1	टोडारायसिंह मुख्यालय	श्री इस्लाम मोहम्मद	आर / 352 / 1995
2	टोक मुख्यालय	श्री शैलेन्द्र गर्ग श्री सलीम नक्की	आर / 577 / 2001 आर / 2194 / 2000

आज्ञा से


 (हिमांकनी गौड़)
 विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि भिन्नाभिन्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित जिला कलक्टर।
- 9 संबंधित कोषाधिकारी।
- 10 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 11 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 12 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 13 रक्षित पत्रावली।


 (हिमांकनी गौड़)
 विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण